न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बांरा राज0

पीठासीन अधिकारीः— दीनानाथ बब्बल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—23/19 **दायराः—31.12.2019**

उनवान

1—पातीराम पुत्र कल्ला जाति सहरिया निवासी समरानियॉ तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)
2—किशनलाल पुत्र कल्ला जाति सहरिया निवासी समरानियॉ तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)

————प्रार्थीगण

बनाम

1—श्रीलाल पुत्र काडू जाति सहरिया निवासी समरानियॉ तहसील शाहाबाद जिला बांरा (राज0)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक—23.07.2020

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है—

1—यह है कि प्रार्थीगण के स्वामीत्व व सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 566/1196 रकबा 7 बीघा खसरा नम्बर 581 रकबा 0.01 बीघा खसरा नम्बर 667 रकबा 1.02 बीघा खसरा नं. 669 रकबा 1.11 बीघा खसरा नं. 675 की 7.04 खसरा 680 की 3.02 खसरा नं. 728 की 10. 01 कुल किता 7 रकबा 30.01 बीघा ग्राम समरानियॉ मे स्थित है। उक्त वर्णित भूमि का खसरा नम्बर 566/1196 एन.एच 27 फौर लाइन से अटैच है।

2— अप्रार्थी जिसका विवाद भूमि मे से कोई हक अधिकारी सम्बन्ध नहीं है। न सर्वथा अवैध रूप से जबरन दिनांक 07.12.2019 को प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 566/1196 की आराजी के 24*25 फीट भाग पर नींव खोदकर 12*12 फिट के हिसाब से 2 कमरे की नींव खोदना शुरू कर दिया है। प्रार्थीगण के मना करने पर आमदा फसाद है इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि पर नींव खोदकर निर्माण अकृष्य कार्य कर रहा है। अप्रार्थी का उपरोक्त कृत्य सर्वथा अवैध विधि विरूद्व व मनमाना है। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य करने का कोई विधिक अधिकारी नही है। अप्रार्थी का उपरोक्त कृत्य सर्वथा अवैध व विधि विरूद्व है अप्रार्थी के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण के हक अधिकारों का भारी नुकसान उत्पन्न हो गया है। प्रार्थीगण खातेदार कृषक अप्रार्थी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीण का प्रथम दृष्टया मामला है। दौराने वाद अप्रार्थी का अवैध कृत्य निर्माण अकृष्य कार्य से नही रोका गया तो भूमि का स्थान साक्ष्य परिवर्तन हो जायेगा इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन का

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के पक्ष मे हो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने पर प्रार्थीगण को अपुर्णनिय क्षति होगी ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय से निवेदन है कि दौरान वाद अप्रार्थी के लिए अस्थायी निषैधाज्ञा पाबन्द करने की अप्रार्थी मोजा समरानियॉ स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 566/1196 मे किसी भी भाग मे निर्माण कार्य अकृषि कार्य नही करें।

उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जर्ये समन तलब किया गया है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी

एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया।

प्रथम दृष्टया मामलाः–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम समरानियॉ सवंत 2071–74 खाता संख्या 211 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजीयात को सहखातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण कं पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि वे ग्राम समरानियॉ की आराजी खसरा नम्बर 566/1196 के किसी भी भाग में निर्माण कार्य नही करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद (राज.)

Scanned by CamScanner